

वउनवान

शाम्भू सिंह

वनाम

प्रमाण

धारा

५.१.१)


मुकदमा नं.

२६/२०/२०

ऑनलाईन नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गरा इनिशियल्स जज	नम्बर न तारीख आह्वाण जो हुक्म की तारीख मे जारी हुए
२७/८/२५	पत्रा. पेश हुई / राजकार्य अणकारण, छेने छे कारण, दिनांक १०/०९/२५ को आगामी वेणी पर उपरिगत हो।	
१०/०९/२०२५	पत्रावली पेश हुई, वकील वकील उप. प्रति. छे ओर से प्रा. पत्रावली दाने छे साथ लेलान इलाकेन छे सत्यापित प्रारिलियि चाही अई, जो शा. पत्रा. छे चाहे इलाकेन इलाकेन छे उपलब्ध कराने लाये / मिलन वस्ते जवाब प्रतीवादी एवं वस्स हेतु दिनांक ०९/१०/२५ को पेश हो।	
०९/१०/२५	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक २९/१०/२०२५ को पेश हो।	
२९/१०/२५	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज कार्य से मीटिंग शिबिर मुख्यालय स बाहर है पत्रावली पूर्वावत दि. १०/११/२५ को पेश हो।	
१०/११/२५	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित / वादी छे श्रुत्य छे उपरान्त निर्धारित सप्तपावर्षी के वादी छे सप्तक शुकाक रिफाई पर जदिये प्र. पत्रा वकील अधिवक्ता द्वारा न तां लाये जा लके न ही मुख्यालय को सूचित कराया जाय / अतः प्रियक उ आदेश २२ CPC के प्रावधानों के पालना के दावा यत्न लायक	

बउनवान बनाम
 धारा मुकदमा नं. ऑनलाईन नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>जदि हें तब्या कबेट धे चफा ही दाव क्ये कबेट घोषित इल्ले हुए इमी स्वतः पर इवाराज बिच जाता हें <u>पुनर्वी फैसल सुमाए होकर</u> <u>दाखिल दफतर हें। फैसला</u> <u>सबे इजलास सुनाया शक।</u></p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी इटवा </p>	